उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास विभाग (गंगा सेल)
संख्या-1335/सीजीए/9-5-2013-18(20)/2011टीसी

लखनऊ - दिनांक 30 सितम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर जनहित याचिका संख्या 4003/2006 रि- गंगा पोल्यूशन बनाम उ प्र राज्य व अन्य में दिनांक 23-09-2013 को निम्न आदेश पारित किये गये है-

Extensive damaged caused to both the STPs i.e. at Salori and Rajapur is a matter of serious concern and alarm.

As observed above, the responsibility and accountability has to be fixed and action taken against all those slack officials due to whose misdeed STP's have been damaged. Appropriate action is also required to be taken against the construction company which was entrusted in construction of STP & Ring Bandh and inquiry and action need to be taken at the highest level.

We direct the Principal Secretary, Urban Development Department, to institute an inquiry in the above matter and complete the same within a short span of time and place before the Court the action taken. We, further observe that the Principal Secretary, Urban Development Department, shall bring into the notice of the Chief Secretary of the State this order who may ensure that appropriate enquiry is conducted and action taken in the matter to fix the responsibility. We, further direct the Principal Secretary, Urban Development Department to take immediate measures to make the both STP's functional and to take all remedial measures including the protection of both the STP's so that it cannot be damaged by any further floods.

उपरोक्त के अनुपालन में एतदद्वारा निम्नानुसार जॉच कमेटी गठित की जा रही है, जो सलोरी एवं राजापुर एस0टी0पी0 व बक्शी बन्ध के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जॉच करेगी एवं तदक्रम में उत्तरदायी अधिकारियों तथा निर्माण संस्था को भी चिन्हित करेगी-

(1) मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ । - सदस्य
(2) मुख्य अभियन्ता (सोन), उ0प्र0 सिंचाई विभाग, वाराणसी। - सदस्य
(3) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबादा । - सदस्य

उक्त कमेटी विशेष सचिव, नगर विकास विभाग श्री एस0पी0सिंह की अध्यक्षता में कार्य करेगी तथा अपनी जॉच आख्या पन्द्रह दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव।

(क्रमश-2)

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>प्र0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2 प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3 विशेष सचिव (श्री श्रीप्रकाश सिंह), नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4 आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबादा।
5 जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
6 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
8 नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
9 मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10 मुख्य अभियन्ता (सोन), उ0प्र0 सिंचाई विभाग, वाराण्सी।
11 मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद।
12 मुख्य अभियन्ता (इलाहाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
13 मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
14 उपसचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
15 प्रभारी, क्म्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को ऑन लाइन अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र सिंह बिष्ट)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in